<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>19.11.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने और वापस दिलाने में मदद की है, जिससे लिक्विडेटर (परिसमापक) पीड़ितों, जमानती लेनदारों व अन्य वैध दावा करने वालों के लाभ के लिए लिक्विडेशन (भुगतान) की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। वापस की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 380 करोड़ रुपये है।

ईडी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धन की हेराफेरी व उसे दूसरी जगह लगाने व इस तरह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ 456.38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, ईडी ने 28.05.2018 को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, पीएमएलए ने सहमति प्रदान की। कुर्क की गई संपत्तियों में फैक्ट्री परिसर, औद्योगिक भूखंड, कानपुर और अहमदाबाद स्थित भूखंड, और मशीनरी, गाड़ियां, कार्यालयी प्रयोग का सामान और फर्नीचर जैसी कई परिसंपत्तियाँ शामिल थीं।

जांच के दौरान, ईडी ने एक अभियोजन शिकायत तथा पूरक शिकायत भी दर्ज करवाई। पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध संबंधी दोनों शिकायतों का माननीय विशेष न्यायालय ने संज्ञान लिया।

कुर्क की गई परिसंपत्तियाँ वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ के पास गिरवी रखी गईं थीं, जिन्होंने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेटर (परिसमापक) के पक्ष में अपना प्रतिभूति हित त्याग दिया था। इसके बाद, लिक्विडेटर (परिसमापक) ने माननीय विशेष न्यायालय में अर्जी दी, जिसमें परिसंपत्तियों की कीमत में गिरावट, जमानती लेनदारों पर वित्तीय बोझ और परिसंपत्तियों की वसूली रकम को ज़्यादा से ज़्यादा करने को ध्यान में रखते हुए कुर्क की गई परिसंपत्तियों को मुक्त करने की मांग की गई।

धन-शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध की आय (पीओसी) बहाल करने/वापस करने के पीएमएलए के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने कंपनी के लिक्विडेटर (परिसमापक) से जुड़ी संपत्ति को मुक्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की।

अतः, माननीय विशेष न्यायालय ने 15.11.2025 के आदेश के माध्यम से कंपनी के लिक्विडेटर (परिसमापक) के पक्ष में संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है कि पीएसयू ऋणदाताओं समेत जायज़ स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) को लिक्विडेशन (भुगतान) प्रक्रिया के माध्यम से न्यायसंगत वसूली मिल सके। ईडी, पीओसी को कुर्क करके और वैध दावा करने वालों को वापस करके पीएमएलए, 2002 के मकसद को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।